संख्या- 18/2017/1512/अडतीस-7-2017-134/2015टीसी

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पत्रा0सं0-06/2096/मनरेगा//श्यामा प्र0मु0रू0मि0/2017, दिनांक 19-09-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में नई मांग के माध्यम से उक्त परियेाजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 213.60 करोड में से भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12011/28/2016-रूर्बन(एसएलनं0-29), दिनांक: 10-08-2017 द्वारा निर्गत 03 क्लस्टर्स (मिधाकुर, श्रीनगर एवं राजपुर हेतु प्रति क्लस्टर रू0 0.35 करोड) हेतु प्रशासनिक मद की धनराशि रू0 1.05 करोड(रूपये एक करोड पांच लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-213/2017, दिनांक 03-08-2017 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा योजना के मार्ग-निर्देशों/नियमों में उल्लिखित, व्यवस्था/प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में नियमानुसार किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों को आवश्यकतानुसार निर्धारित/ अनुमन्य मदों मे उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कोषागार से धनराशि का आहरण मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत् शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या- यूओ-ई-2-591/दस-17, दिनांक: 16 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

संख्या- 18/2017/1512(1)/अड़तीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(स्किल्स), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (वित्त/मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, आगरा, चित्रकूट मण्डल एवं देवीपाटल मण्डल उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, महोबा एवं बहराइच, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. विशेष कार्याधिकारी,ग्राम्य विकास विभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।